केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश, उत्तराखंड – २४९२०२
KENDRIYA VIDYALAYA RISHIKESH, UTTARAKHAND - 249202

सी०बी०एस०ई० संबद्धता सं०/CBSE Affiliation No : 3500034 **विद्यालय कोड़ /School Code**: 84070
वेबसाइट/Website: https://rishikesh.kvs.ac.in **ई-मेल/Email:** kvrishikesh.ppl@gmail.com
दूरभाष सं० / Phone No : 0135 – 2973317

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F-1392350/L&B/2021-22/KVR **दिनांक: 06 अप्रैल, 2021**

सेवा में ,

वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त, देहरादून

विषय - कार्यालय – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्र संख्या - 245/FP/UK /SCH/40755/2019 दिंनाक 24 मार्च 2021 के माध्यम से मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में –

महोदय,

उपर्युक्त पत्र के सम्बन्ध में आप द्वारा केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश के भूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना के बारे में बिन्दुवार निम्न स्पष्टीकरण वन भूमि के हस्तांतरण के निस्तारण हेतु आपको प्रस्तुत है -

1. वर्तमान विद्यालय भवन 1978 में IDPL, ऋषिकेश के द्वारा फैक्ट्री एवं टाउनशिप के निर्माण के साथ ही बनाया गया था, इसलिए इसमें वन अधिनियम 1980 का कोई उलंघन नहीं किया गया है |
2. केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के भवन का नवीनीकरण हेतु वन भूमि हस्तांतरण के लिए वर्तमान में चल रहे विद्यालय की भूमि (आवेदित भूमि) ही सर्वदा उपयुक्त है, क्योंकि यह केंद्रीय विद्यालय नियमों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम भूमि (5 एकड़ = 2.10 हेक्टेयर) के नियम को पूर्ण करता है, साथ ही साथ यह विद्यालय 1978 से वर्तमान में भी इसी भूमि पर चलता चला आ रहा है, इसलिए वर्तमान भूमि ही इस विद्यालय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है | अतः इसके विकल्प के रूप में अन्य कोई भूमि की उपलब्धता नहीं है |
3. प्रस्तावित भूमि में 1978 से विद्यालय चल रहा है और वर्तमान में इस भूमि पर बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न सुविधाओं का विस्तार किया जाना है -

a) वर्तमान में यह विद्यालय 2 सेक्शन में चल रहा है एवं ये 4 सेक्शन तक प्रस्तावित है, जिसके लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी |

b) बच्चों की खेलकूद गतिविधियों के लिए मुक्त व्यायाम शाला , फुटबॉल खेल मैदान, वोलीबाल कोर्ट, एथ्लेक्टिक ट्रैक, बास्केटबाल कोर्ट, क्रिकेट मैदान भी प्रस्तावित भूमि पर विकसित होना है

c) बहुउद्देशीय भवन, कंपोजिट पिट, मैथमेटिक्स गार्डन, चिल्ड्रेन्स पार्क, प्रार्थना सभा मंच एवं स्थल, विद्यालय कैंटीन के लिए भी भूमि की आवश्यकता है

d) इसके अतिरिक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अन्य गतिविधियों के लिए भी भूमि की आवश्यकता है|

अत: उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जाना सर्वाधिक उपयुक्त है।

संलग्न :

1. प्रस्ताव में लगाए गए भूमि सम्बंधित दस्तावेज

भवदीया

सुधा गुप्ता

(सुधा गुप्ता)

प्राचार्या

प्राचार्या / प्राचार्य
के० वि० वीरभद्र, ऋषिकेश